५०० / 1·35

पत्रांक / 1499 / आयु0क0उत्तरा0 / आई0टी0–अनुभाग / IT-Sec./पत्रा.151 / 17–18 / दे0दून।

प्रेषक,

एडिशनल कमिश्नर, (विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

सेवा में,

श्री राजेश गोयल
जी0एम0, NICSI,
सचिवालय परिसर
देहरादून।

(आई0टी0–अनुभाग) **दिनांकः देहरादूनः: 27 जून, 2017**

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–48 / 2017 / XXVII(8)/239/2007 दिनांक 16 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग में निक्सी के माध्यम से कार्यरत System Administrator की संविदा अवधि अधिकतम 01 वर्ष बढ़ाने जाने तथा इस पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि श्री अंशु रमन वर्मा, SA को माह दिसम्बर 2016 से माह मई 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है। अतः उपरोक्त के कम में विभागीय कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के दृष्टिगत पूर्व से कार्यरत श्री अंशु रमन वर्मा, SA की बाह्यस्त्रोत संविदा अवधि को पुनः **दिनॉक 01–06–2017 से 31–12–2017 तक** 06 माह हेतु कुल Project Cost एवं Proforma Invoice के सम्बन्ध में मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, (विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

पृ0प0सं0 / / दिनांक उक्तः:

प्रतिलिपिः– श्री अंशु रमन वर्मा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा सेन्टर, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून को सूचनार्थ।

एडिशनल कमिश्नर, (विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।

संख्या–118/2017/XXVII-8/239/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8

देहरादून::दिनांक: 16 फरवरी,2017

विषयः–वाणिज्य कर विभाग में एम0एम0पी0सी0टी0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन पर होने वाले आवर्तक व्यय एवं अन्य व्ययों का भुगतान विभागीय बजट से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4811/आयु.क.उत्तरा./आई0टी.–अनु./वाणि0क0/2016–17/दे0दून, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के ई–गवर्नेंस कार्यकम के अन्तर्गत एम0एम0पी0सी0टी0 के कम्प्यूटरीकरण हेतु गठित प्रोग्राम ई–मिशन टीम के सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22 जुलाई, 2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों तथा इस सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत विषयगत प्रस्ताव के अनुकम में एम.एम.पी.सी.टी. के अन्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन पर होने वाले आवर्तक व्यय एवं अन्य व्ययों का भुगतान विभागीय बजट से किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. प्रस्ताव में उल्लिखित वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं अन्य संगत नियमों का पालन किया जायेगा।
2. वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत उपनल के माध्यम से संविदा पर रखे गये प्रोग्रामर्स को मार्च, 2017 तक ही रखा जायेगा और इसके उपरान्त भी यदि इनकी सेवाओं की अपरिहार्यता हो, तो आयुक्त कर के स्तर से इनको अग्रेत्तर रखे जाने के सम्बन्ध में सम्यक् निर्णय लिया जायेगा, परन्तु दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रस्तावित जी0एस0टी0 प्रणाली के दृष्टिगत उक्त कर्मियों किसी भी दशा में 30 जून,2017 के उपरान्त नहीं रखा जायेगा।
3. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (एस0ए0) को अधिकतम एक वर्ष तक तथा डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर(डी0बी0ए0) को जी0एस0टी0 लागू होने तक ही रखा जायेगा।
4. उक्त व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

10886
17-2-17

Letter section/